राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन, ईसीजी टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष–2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफ्) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने बाबत् नीति–निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में प्रातः 10:30 बजे आयोजित की गई।

बैठक में अग्रांकित अधिकारियों (अथवा प्रतिनिधि) द्वारा भाग लिया गया :–

1.	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय	
2.	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल.	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
4.	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	सदस्य
5.	विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
6.	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
7.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर या प्रतिनिधि	सदस्य सचिव
8.	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
9.	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
12.	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय/मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– प्रथम	सदस्य
14.	औषधि नियंत्रक– प्रथम, आयुक्तालय औषधि नियंत्रक एवं खाद्य सुरक्षा, चि. एवं स्वा. विभाग, राजस्थान।	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
		विशिष्ट आमंत्रित सदस्य

क्र. स.	नीतिगत निर्णय संख्या	विचारणीय बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	समिति का निर्णय
1	81	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक 229 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना	चूँकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा दिनांक 11.08.2021 से बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड,	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा दिनांक 11.08.2021 के द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी

Anupam Jain

		अग्रिम कार्यवाही किस प्रकार की जानी चाहियें।		
10	90	लैब टैक्नीशियन भर्ती 2023 में जारी अंतरिम वरियता सूची उपरान्त आमंत्रित परिवेदनाओं में सर्वश्री अमित कुमार, नरेश कुमार शर्मा, अभिषेक मित्तल एवं विरेन्द्र कुमार सैनी ने लैब सहायक पद के अनुभव संबंधी परिवेदनायें प्रस्तुत की हैं। श्री नरेश कुमार शर्मा ने 117 अभ्यार्थियों को लैब सहायक पद के अनुभव बोनस अंकों का लाभ दिये गये अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए अंतिम सूची में नाम शामिल करवाने बाबत्। श्री अमित कुमार ने कोविड काल के अनुभव के बोनस अंकों का लाभ देते हुये प्रोविजनल सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की जिसपर परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये। अभिषेक मित्तल एवं विरेन्द्र कुमार सैनी की परिवेदना राजेन्द्र कुमार बेनीवाल के प्रकरण से कवर्ड होने के कारण पृथक से नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरणों को समिति के समक्ष रख इस बाबत् निर्णय लिया जाना है कि लैब सहायक पद के अनुभव को लैब टेक्नीशियन के समान माना जावें अथवा नही?	लैब सहायक पद के अनुभव का लाभ देते हुये बोनस प्रदान किये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि लैब सहायक पद की योग्यता एवं लैब टेक्नीशियन पद की योग्यता में कोई अन्तर नहीं है। एक समान योग्यताधारी व्यक्ति से आवश्यकतानुसार समान कार्य सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये है कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
11	91	अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार मीणा आईडी क्रमांक LTN111525 द्वारा एम्स भुवनेश्वर से जारी अंकतलिकाओं एवं अस्थाई रजिस्ट्रेशन का सत्यापन पत्र संलग्न किया है जिसमें 8वें कमांक पर अभ्यर्थी का नाम भी है। अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता होने के कारण रोका गया है। अतः निर्णय लिया जाना है कि संलग्न पत्र के आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जावे अथवा नहीं?	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में दिनांक 17.05.2024 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि चूँकि पूर्व में अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है अतः उस ही के अनुरूप सम्बन्धित राज्य से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावे अथवा नीति निर्धारण समिति स्तर से निर्णय कराया जाये। अतः प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु जारी प्रकिया अनुसार ही कार्यवाही की जाये।
12	92	याचिकाकर्ता साक्षी नन्दवाना पुत्री श्री बृजेश नन्दवाना आईडी क्रमांक LTN116594 ने रिट याचिका संख्या 16634/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर	अभ्यर्थिया द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा जे.के लोन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा	अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता के कार्यालय से अभ्यर्थी की फर्म को दिनांक 1.6.2022 से 30.5.2023 कुल 364 दिवस का भुगतान हुआ

		निवेदन किया है कि जे.के लोन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्रांक 1927 दिनांक 24.06.2023 में अंकित कार्य दिवसों की संख्या 316 जो कि 26 दिवस प्रतिमाह के आधार पर गणना की गई को त्रुटिपूर्ण बताते हुये स्वयं के वास्तविक कार्य दिवस 369 दिवस का उल्लेख किया है साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर दायर रिट याचिका संख्या 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक के अनुसार रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश को सम्मिलित कर 30 या 31 दिवस प्रतिमाह के अनुसार गणना करते हुये स्वयं को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्रांक 1927 दिनांक 24.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थिया को दिनांक 28.05.2022 से 30.05.2023 तक कुल 316 वास्तविक कार्य दिवसों का अनुभव प्रदान किया है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम सरकार में निर्णय पारित कर जितनी अवधि का भुगतान किया गया है उतनी ही अवधि को अनुभव माने जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। यह वैसे भी तर्कसंगत है कि जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव माना जाये। शीफू द्वारा अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ कि अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता के कार्यालय से अभ्यर्थी की फर्म को दिनांक 1.6.2022 से 30.5.2023 कुल 364 दिवस का भुगतान हुआ है। यह अवधि एक वर्ष से कम है एवं कोविड अवधि से बाहर की है जिसका बोनस देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	है। यह अवधि एक वर्ष से कम है एवं कोविड अवधि से बाहर की है जिसका बोनस देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता साक्षी नन्दवाना पुत्री श्री बृजेश नन्दवाना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
13	93	याचिकाकर्ता श्री राहुल पाडिरवाल पुत्र श्री राजेन्द्र पाडिरवाल आईडी क्रमांक LTN115744 ने रिट याचिका संख्या 16634/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जे.के लोन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्रांक 1926 दिनांक 24.06.2023 में अंकित कार्य दिवसों की संख्या 314 जो कि 26 दिवस प्रतिमाह के आधार पर गणना की गई को त्रुटिपूर्ण बताते हुये स्वयं के वास्तविक कार्य दिवस 367 दिवस का उल्लेख किया है साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर दायर रिट याचिका संख्या 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक के अनुसार रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश को सम्मिलित कर 30 या 31 दिवस प्रतिमाह के अनुसार गणना करते हुये स्वयं को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में अनुसूचित श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा जे.के लोन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्रांक 1926 दिनांक 24.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थिया को दिनांक 28.05.2022 से 30.05.2023 तक कुल 314 वास्तविक कार्य दिवसों का अनुभव प्रदान किया है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2577/2020 में निर्णय पारित कर जितनी अवधि का भुगतान किया गया है उतनी ही अवधि को अनुभव माने जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। यह वैसे भी तर्कसंगत है कि जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव माना जाये। शीफू द्वारा अनुभव प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ	अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता के कार्यालय से अभ्यर्थी की फर्म को दिनांक 1.6.2022 से 30.5.2023 कुल 364 दिवस का भुगतान हुआ है। यह अवधि एक वर्ष से कम है एवं कोविड अवधि से बाहर की है जिसका बोनस देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री राहुल पाडिरवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

Anupam John

			कि अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता के कार्यालय से अभ्यर्थी की फर्म को दिनांक 1.6.2022 से 30.5.2023 कुल 364 दिवस का भुगतान हुआ है। यह अवधि एक वर्ष से कम है एवं कोविड अवधि से बाहर की है जिसका बोनस देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
14	94	याचिकाकर्ता श्री संदीप कुमार यादव पुत्र श्री भैरू राम यादव आईडी क्रमांक LTN117621 ने रिट याचिका संख्या 14143/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर जो राजस्थान राज्य में स्थित है में समरूप कार्य पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है जिस हेतु याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.06.2023 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा किया गया कार्य विज्ञापित पद के समान है। याचिकाकर्ता दिनांक 24.08.2023 को जारी दस्तावेज सत्यापन की सूची के क्रम में दस्तावेज सत्यापन कराया गया किन्तु प्रार्थी को जोधपुर एम्स में कार्यरत होने के कारण बोनस अंक प्रदान नही किये गये। पूर्व में 2020 की भर्ती में एक अभ्यर्थी जायबा पुत्री सैयद शहाबुद्दीन जो कि जोधपुर एम्स में कार्यरत थी को बानस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है और वह अभ्यर्थिया वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर नियमानुसार बोनस अंक प्रदान कर दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	राज्य सरकार की नीति है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस अंकों का लाभ उसी तरीके से दे, जैसा वह तय कर सकती है, जैसा कि नियम 19 में बताया गया है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 11406–11407/2016 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अर्चना आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 में बरकरार रखा है कि– "राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति को अपनी शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए"। इस प्रकार बोनस अंक प्रदान करने की शर्तें तय करना कि कितना और किसे दिया जाना है राज्य सरकार के दायरे में आता है, जो उचित है और विवेकपूर्ण मापदंडों के भीतर है। सामान्यतः राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ही बोनस अंको का लाभ प्रदान करना चाहेगी जो कि न्यायसंगत है। हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल दीपक सिंह दैया के मामले में, बल्कि काफी हद तक इसी तरह के डी.बी. के मामले सिविल रिट याचिका संख्या 8433/2023 मक्खन लाल बधाला बनाम राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि "बोनस अंक देने की योजना, यदि कोई हो, और इसे देने का तरीका निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है।" उल्लेखनीय है कि प्रकरण	हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नही हैं। अतः राज्य सरकार की नीति व भर्ती नियम तथा विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप बोनस अंक प्राप्ति के हकदार नहीं हैं। बोनस एक प्रावधान है जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को किसी विशेष उद्देश्य से प्रदान करती है यह कोई अधिकार नहीं है जिसकी मॉग हर वो व्यक्ति कर सके जो राज्य सरकार की सेवा में नहीं रहा है। इन भर्तियों हेतु राज्य सरकार पूरी तरह से अनुभवी व्यक्तियों के चयन की मंशा नहीं रखती है बल्कि उन व्यक्तियों के चयन की मंशा रखती है जो राज्य सरकार की सेवा में हैं या रह चुके हैं ताकि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सके जो राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाएं देने का अनुभव रखते हैं (और यदि पहले से सेवारत हैं तो उनकी सेवाएं बरकरार रह सकें)। अतः राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों में कार्य संपादन का अनुभव नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री संदीप कुमार यादव का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

Shri Anupam Johry

			राजस्थान राज्य में सेवारत होने से संबंधित नही बल्कि दो भिन्न सरकारो में सेवारत होने का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान राज्य में इसी आधार पर कि याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार में कार्यरत नही है, याचिका को खारिज किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि समान प्रकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 28349/2023 दीपक सिंह दहिया दायर की हुई है अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर पारित निर्णय के अनुसार लिया जायेगा। राज्य सरकार की मंशा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की नही होकर वस्तुतः उन अभ्यर्थियों की सेवायें बरकरार रखने के उद्देश्य से बोनस का लाभ प्रदान करने की है जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर कार्यरत है। वर्तमान में विभिन्न समान प्रकरणो में राज्य पक्ष में पारित निर्णयों के अनुरूप अभ्यर्थी की परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
15	95	याचिकाकर्ता श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री पारसमल आईडी क्रमांक LTN118321 ने रिट याचिका संख्या 14147/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर जो राजस्थान राज्य में स्थित है में समरूप कार्य पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है जिस हेतु याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.06.2023 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा किया गया कार्य विज्ञापित पद के समान है। याचिकाकर्ता दिनांक 24.08. 2023 को जारी दस्तावेज सत्यापन की सूची के क्रम में दस्तावेज सत्यापन कराया गया किन्तु प्रार्थी को जोधपुर एम्स में कार्यरत होने के कारण बोनस अंक प्रदान नही किये गये। पूर्व में 2020 की भर्ती में एक अभ्यर्थी	राज्य सरकार की नीति है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस अंकों का लाभ उसी तरीके से दे, जैसा वह तय कर सकती है, जैसा कि नियम 19 में बताया गया है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 11406–11407/2016 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अर्चना आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 में बरकरार रखा है कि– "राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति को अपनी शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए"। इस प्रकार बोनस अंक प्रदान करने की शर्तें तय करना कि कितना और किसे दिया जाना है राज्य सरकार के दायरे में आता है, जो उचित है और विवेकपूर्ण मापदंडों के भीतर है।	हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अतः राज्य सरकार की नीति व भर्ती नियम तथा विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप बोनस अंक प्राप्ति के हकदार नहीं हैं। बोनस एक प्रावधान है जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को किसी विशेष उद्देश्य से प्रदान करती है यह कोई अधिकार नहीं है जिसकी मॉंग हर वो व्यक्ति कर सके जो राज्य सरकार की सेवा में नहीं रहा है। इन भर्तियों हेतु राज्य सरकार पूरी तरह से

		जायबा पुत्री सैयद शहाबुद्दीन जो कि जोधपुर एम्स में कार्यरत थी को बानस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है और वह अभ्यर्थिया वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर नियमानुसार बोनस अंक प्रदान कर दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	सामान्यतः राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ही बोनस अंको का लाभ प्रदान करना चाहेगी जो कि न्यायसंगत है। हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल दीपक सिंह दैया के मामले में, बल्कि काफी हद तक इसी तरह के डी.बी. के मामले सिविल रिट याचिका संख्या 8433/2023 मक्खन लाल बघाला बनाम राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि "बोनस अंक देने की योजना, यदि कोई हो, और इसे देने का तरीका निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है।" उल्लेखनीय है कि प्रकरण राजस्थान राज्य में सेवारत होने से संबंधित नही बल्कि दो भिन्न सरकारो में सेवारत होने का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान राज्य में इसी आधार पर कि याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार में कार्यरत नही है, याचिका को खारिज किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि समान प्रकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 28349/2023 दीपक सिंह दहिया दायर की हुई है अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर पारित निर्णय के अनुसार लिया जायेगा। राज्य सरकार की मंशा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की नही होकर वस्तुतः उन अभ्यर्थियों की सेवायें बरकरार रखने के उद्देश्य से बोनस का लाभ प्रदान करने की है जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर कार्यरत है। वर्तमान में विभिन्न समान प्रकरणो में राज्य पक्ष में पारित निर्णयों के अनुरूप अभ्यर्थी की परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	अनुभवी व्यक्तियों के चयन की मंशा नहीं रखती है बल्कि उन व्यक्तियों के चयन की मंशा रखती है जो राज्य सरकार की सेवा में हैं या रह चुके हैं ताकि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सके जो राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाएं देने का अनुभव रखते हैं (और यदि पहले से सेवारत हैं तो उनकी सेवाएं बरकरार रह सकें)। अतः राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों में कार्य संपादन का अनुभव नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री श्रवण कुमार का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

Shri Anupam Jahry

16	96	याचिकाकर्ता श्री भँवरा राम पुत्र श्री खंगार राम आईडी क्रमांक LTN118334 ने रिट याचिका संख्या 14250/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर जो राजस्थान राज्य में स्थित है में समरूप कार्य पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है जिस हेतु याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.06.2023 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा किया गया कार्य विज्ञापित पद के समान है। याचिकाकर्ता दिनांक 24.08.2023 को जारी दस्तावेज सत्यापन की सूची के क्रम में दस्तावेज सत्यापन कराया गया किन्तु प्रार्थी को जोधपुर एम्स में कार्यरत होने के कारण बोनस अंक प्रदान नही किये गये। पूर्व में 2020 की भर्ती में एक अभ्यर्थी जायबा पुत्री सैयद शहाबुद्दीन जो कि जोधपुर एम्स में कार्यरत थी को बानस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है और वह अभ्यर्थिया वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर नियमानुसार बोनस अंक प्रदान कर दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	राज्य सरकार की नीति है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस अंकों का लाभ उसी तरीके से दे, जैसा वह तय कर सकती है, जैसा कि नियम 19 में बताया गया है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 11406–11407/2016 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अर्चना आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 में बरकरार रखा है कि– "राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति को अपनी शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए"। इस प्रकार बोनस अंक प्रदान करने की शर्तें तय करना कि कितना और किसे दिया जाना है राज्य सरकार के दायरे में आता है, जो उचित है और विवेकपूर्ण मापदंडों के भीतर है। सामान्यतः राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ही बोनस अंको का लाभ प्रदान करना चाहेगी जो कि न्यायसंगत है। हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल दीपक सिंह दैया के मामले में, बल्कि काफी हद तक इसी तरह के डी.बी. के मामले सिविल रिट याचिका संख्या 8433/2023 मक्खन लाल बधाला बनाम राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि "बोनस अंक देने की योजना, यदि कोई हो, और इसे देने का तरीका निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है।" उल्लेखनीय है कि प्रकरण राजस्थान राज्य में सेवारत होने से संबंधित नही बल्कि दो भिन्न सरकारों में सेवारत होने का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान राज्य में इसी आधार पर कि याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार में कार्यरत नही है, याचिका को खारिज किया जा चुका है।	हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अतः राज्य सरकार की नीति व भर्ती नियम तथा विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप बोनस अंक प्राप्ति के हकदार नहीं हैं। बोनस एक प्रावधान है जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को किसी विशेष उद्देश्य से प्रदान करती है यह कोई अधिकार नहीं है जिसकी मॉग हर वो व्यक्ति कर सके जो राज्य सरकार की सेवा में नहीं रहा है। इन भर्तियों हेतु राज्य सरकार पूरी तरह से अनुभवी व्यक्तियों के चयन की मंशा नहीं रखती है बल्कि उन व्यक्तियों के चयन की मंशा रखती है जो राज्य सरकार की सेवा में हैं या रह चुके हैं ताकि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सके जो राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाएं देने का अनुभव रखते हैं (और यदि पहले से सेवारत हैं तो उनकी सेवाएं बरकरार रह सकें)। अतः राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों में कार्य संपादन का अनुभव नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री भँवरा राम का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

			उल्लेखनीय है कि समान प्रकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 28349/2023 दीपक सिंह दहिया दायर की हुई .है अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर पारित निर्णय के अनुसार लिया जायेगा। राज्य सरकार की मंशा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की नही होकर वस्तुतः उन अभ्यर्थियों की सेवायें बरकरार रखने के उद्देश्य से बोनस का लाभ प्रदान करने की है जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर कार्यरत है। वर्तमान में विभिन्न समान प्रकरणो में राज्य पक्ष में पारित निर्णयों के अनुरूप अभ्यर्थी की परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
17	97	याचिकाकर्ता श्री अर्जुन देव जाखड़ पुत्र श्री पूनाराम जाखड़ आईडी क्रमांक LTN115385 ने रिट याचिका संख्या 14046/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर जो राजस्थान राज्य में स्थित है में समरूप कार्य पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है जिस हेतु याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.06.2023 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा किया गया कार्य विज्ञापित पद के समान है। याचिकाकर्ता दिनांक 24.08.2023 को जारी दस्तावेज सत्यापन की सूची के क्रम में दस्तावेज सत्यापन कराया गया किन्तु प्रार्थी को जोधपुर एम्स में कार्यरत होने के कारण बोनस अंक प्रदान नही किये गये। पूर्व में 2020 की भर्ती में एक अभ्यर्थी जायबा पुत्री सैयद शहाबुद्दीन जो कि जोधपुर एम्स में कार्यरत थी को बानस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है और वह अभ्यर्थिया वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। अतः अभ्यर्थी ने अनुभव अवधि संबंधित प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर नियमानुसार बोनस अंक प्रदान कर दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	राज्य सरकार की नीति है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस अंकों का लाभ उसी तरीके से दे, जैसा वह तय कर सकती है, जैसा कि नियम 19 में बताया गया है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 11406–11407/2016 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम अर्चना आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 में बरकरार रखा है कि– "राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति को अपनी शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए"। इस प्रकार बोनस अंक प्रदान करने की शर्तें तय करना कि कितना और किसे दिया जाना है राज्य सरकार के दायरे में आता है, जो उचित है और विवेकपूर्ण मापदंडों के भीतर है। सामान्यतः राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ही बोनस अंको का लाभ प्रदान करना चाहेगी जो कि न्यायसंगत है। हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नही हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल दीपक सिंह दैया	हालांकि याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के कर्मचारी नही हैं। अतः राज्य सरकार की नीति व भर्ती नियम तथा विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप बोनस अंक प्राप्ति के हकदार नहीं हैं। बोनस एक प्रावधान है जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को किसी विशेष उद्देश्य से प्रदान करती है यह कोई अधिकार नहीं है जिसकी मॉग हर वो व्यक्ति कर सके जो राज्य सरकार की सेवा में नहीं रहा है। इन भर्तियों हेतु राज्य सरकार पूरी तरह से अनुभवी व्यक्तियों के चयन की मंशा नहीं रखती है बल्कि उन व्यक्तियों के चयन की मंशा रखती है जो राज्य सरकार की सेवा में हैं या रह चुके हैं ताकि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सके जो राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाएं देने का अनुभव

			के मामले में, बल्कि काफी हद तक इसी तरह के डी.बी. के मामले सिविल रिट याचिका संख्या 8433/2023 मक्खन लाल बघाला बनाम राजस्थान राज्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि "बोनस अंक देने की योजना, यदि कोई हो, और इसे देने का तरीका निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है।" उल्लेखनीय है कि प्रकरण राजस्थान राज्य में सेवारत होने से संबंधित नही बल्कि दो भिन्न सरकारो में सेवारत होने का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागोर बनाम राजस्थान राज्य में इसी आधार पर कि याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार में कार्यरत नही है, याचिका को खारिज किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि समान प्रकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 28349/2023 दीपक सिंह दहिया दायर की हुई है अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर पारित निर्णय के अनुसार लिया जायेगा। राज्य सरकार की मंशा अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की नही होकर वस्तुतः उन अभ्यर्थियों की सेवायें बरकरार रखने के उद्देश्य से बोनस का लाभ प्रदान करने की है जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में संविदा पर कार्यरत है। वर्तमान में विभिन्न समान प्रकरणो में राज्य पक्ष में पारित निर्णयों के अनुरूप अभ्यर्थी की परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	रखते है (और यदि पहले से सेवारत है तो उनकी सेवाएं बरकरार रह सकें)। अतः राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों में कार्य संपादन का अनुभव नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री अर्जुन देव जाखड़ का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
18	98	याचिकाकर्ता कनक यादव पुत्री श्री मंगलचन्द यादव आईडी क्रमांक LTN116338 ने रिट याचिका संख्या 16715/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राज्य सरकार के पत्रांक एफ–6(2)एफडी/रूल्स/2016 दिनांक 13.06.2016 से बराला हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, चौमू को राजकीय ईलाज के लिये अधिकृत कर रखा है जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 01.07.2021 से	अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन के साथ वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6(2)एफडी/रूल्स/2016 दिनांक 13.06.2016 की प्रति संलग्न की है जिसके अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेनडेन्स) नियम 2013 के क्रम में उन अस्पतालो की सूची है राज्य सरकार के कर्मचारी को उपचार प्रदान करने हेतु अनुमोदित किये गये हैं।	नियमानुसार राजकीय चिकित्सा संस्थानो में कार्यरत अभ्यर्थियों को ही अनुभव के आधार पर बोनस देय है। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित अस्पताल का स्टेटस प्राईवेट अस्पताल का है अतः नियमानुसार इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं हैं।

Anupam John

		31.08.2022 तक कुल 396 दिवस तक कार्य किया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन 215 दिवस कार्य किया कुल 580 दिवस अनुभव अवधि के आधार पर बोनस अंक दिये जाने बाबत् निवेदन किया है।	जिसका यह अभिप्राय नहीं है कि ये अस्पताल राज्य सरकार का अंग है अथवा पीपीपी मोड पर कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा यह सुविधा अपने कर्मचारियों को उनके नजदीकी अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिये प्रदान की है जो पूर्व मे केवल राजकीय चिकित्सा संस्थानों तक ही सीमित थी किन्तु अब आर.जी.एच.एस. के माध्यम से प्रायवेट चिकित्सा संस्थानें के लिये भी प्रदान की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये है जिसके अनुसार अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन राजकीय संस्थानों में विज्ञापित पद के समान कार्य का अनुभव होने पर ही बोनस अंकों का लाभ देय होगा। अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित अस्पताल का स्टेटस प्राईवेट अस्पताल का है और नियमानुसार राजकीय चिकित्सा संस्थानो में कार्यरत अभ्यर्थियों को ही अनुभव के आधार पर बोनस देय है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	फलस्वरूप याचिकाकर्ता कनक यादव पुत्री श्री मंगलचन्द यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
19	99	याचिकाकर्ता श्री धर्मेन्द्र पाल सिंह अहाड़ा पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह अहाडा आइडी क्रमांक LTT101784 ने रिट याचिका संख्या 17073/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.970 बताते हुये दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में अनारक्षित टीएसपी क्षेत्र की अंतिम कटऑफ से अधिक होते हुये भी अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया, अतः स्वयं का चयन किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता श्री धमेन्द्र पाल सिंह ने लैब टैक्नीशियन भर्ती 2023 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग में आवेदन किया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों में सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो उसको जोड़कर वरियता	विभाग द्वारा नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अपनाई प्राप्तांकों के गणना की विधि के अनुसार याचिकाकर्ता श्री धर्मेन्द्र पाल सिंह अहाड़ा के औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.285 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित टीएसपी वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा है। अतः तदनुरूप याचिकाकर्ता श्री धर्मेन्द्र पाल

			सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 58 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 62.814 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 60.407 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं। औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.285 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित टीएसपी वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	सिंह अहाड़ा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
20	100	याचिकाकर्ता श्री रितिक श्रीमाली पुत्र श्री पुरूषोत्तम श्रीमाली आईडी क्रमांक LTT111678 ने रिट याचिका संख्या 17073/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.281 बताते हुये दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम वरियता सूची में अनारक्षित टीएसपी की अंतिम कटऑफ से अधिक होते हुये भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः स्वयं का चयन किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता श्री रितिक श्रीमाली ने लैब टैक्नीशियन भर्ती 2023 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग में आवेदन किया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:– अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो उसकों जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 53.400 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 63.592 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 58.496 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.947 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित टीएसपी वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के	विभाग द्वारा नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अपनाई प्राप्तांकों के गणना की विधि के अनुसार याचिकाकर्ता श्री रितिक श्रीमाली के औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.947 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित टीएसपी वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा है। अतः तद्नुरूप याचिकाकर्ता श्री रितिक श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

			कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
21	101	याचिकाकर्ता सुरमा देवी पुत्री श्री घेवर राम आईडी क्रमांक LTN111957 ने रिट याचिका संख्या 14150/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता में 324/500 के स्थान पर 324/600 प्रविष्ठ कर दिये गये जिसके फलस्वरूप कम प्राप्तांक रह जाने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान नहीं बना सकी। जिसका ज्ञान अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूचना जारी होने के बाद हुआ। जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया द्वारा ऑफलाईन परिवेदना निदेशक (शिफ्) को प्रस्तुत की एवं दिनांक 12.09.2023 को संस्थान द्वारा त्रुटि सुधार हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में भी ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत की। अतः माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2023 के क्रम में उक्त त्रुटि को सुधार कर 324/500 के आधार पर प्रतिशतों की गणना कर दस्तावेज सत्यापन करा अंतरिम वरियता सूची सम्मिलित किये जाने बाबत् अनुरोध किया है।	याचिकाकर्ता लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्थान नहीं बना सकी जिसके लिये उसने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता में 324/500 के स्थान पर 324/600 अंक प्रविष्ट कर दिये जाने के कारण बताया है जबकि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन त्रुटि सुधार हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 6266 दिनांक 11.07.2023 द्वारा दिनांक 12.07.2023 से 18.07.2023 तक अवसर प्रदान किया गया था एवं इसके उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी त्रुटि सुधार नहीं कर पाया है तो अभ्यर्थियों से त्रुटि सुधार हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 9349 दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से परिवेदनायें आमंत्रित कर संस्थान स्तर पर त्रुटि सुधार कर दिया गया था जिसके क्रम में अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल इस भर्ती हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न की है जिससे तत्समय यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अभ्यर्थिया की परिवेदना क्या थी? इस प्रकार अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जा चुका है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार के क्रम में प्राप्त समस्त याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों का निस्तारण दिनांक 03.11.2023 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये नीतिगत निर्णयों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 15(एच) के अनुसार यदि कोई प्रकरण दिनांक 03.11.2023 को लिये गये नीतिगत निर्णयों से	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4465/2020 सुमन इनानिया बनाम सरकार में समान प्रकरण मे याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया है अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यद्यपि अभ्यर्थी को 2 बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जा चुका है एवं त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी त्रुटि सुधार नहीं कर पाया है, तो भी, चूँकि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के कम प्राप्तांक किसी गलत मंशा से नहीं भरे गये होंगे, अतः अंतिम चयन सूची जारी होने के पूर्व प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुये अंकों में अभीष्ठ सुधार किया जा सकता है।

			परे हो तो उसके भी अभ्यावेदन प्राप्त कर उपयुक्त ढग से विचार कर निस्तारित किये जाने हैं। अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत कर निवेदन है कि त्रुटि सुधार हेतु दो बार अवसर प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी त्रुटि सुधार नहीं कर पाया है तो अब और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4465/2020 सुमन इनानिया बनाम सरकार में समान प्रकरण मे याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया है।	
22	102	याचिकाकर्ता शीनू मेथ्यू पुत्री श्री वर्गिस मेथ्यू आईडी क्रमांक LTN116646 ने रिट याचिका संख्या 15835/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नवीन मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा में दिनांक 21.08.2020 से 30.05.2023 तक कुल 865 दिन कार्य करने के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर चयन करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 2188 दिनांक 27.06.2023 संलग्न किया गया था जिसमें अभ्यर्थिया को दिनांक 10.06.2022 से 30.05.2023 तक 276 दिवस का अनुभव जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंक देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा अभ्यावेदन के साथ प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा लैब सहायक के पद पर दिनांक 21.08.2020 से 09.06.2022 तक कुल 529 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि ना तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और ना ही निर्धारित प्रपत्र में है। निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने संबंधी प्रकरणो को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 16.01.2018, याचिका संख्या 1190/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 25.02.2020, डी.बी.स्पेशल	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 2188 दिनांक 27.06.2023 जिसमें दिनांक 10.06.2022 से 30.05.2023 तक 276 दिवस का अनुभव जारी किया गया है, के आधार पर बोनस अंक देय नहीं है। अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा लैब सहायक के पद पर दिनांक 21.08.2020 से 09.06.2022 तक कुल 529 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जारी नहीं होने से मान्य नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता शीनू मेथ्यू पुत्री श्री वर्गिस मेथ्यू द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। तदनुरूप याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

			अपील रिट संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 07.03.2019 तथा डी.बी. स्पेंशल अपील रिट संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.2021 को आदेश/निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
23	103	याचिकाकर्ता श्री घनश्याम कुश्वाह पुत्र श्री भरत सिंह कुश्वाह आइडी क्रमांक LTN109274 ने रिट याचिका संख्या 16284/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कोविड अवधि की अनुभव 11.01.2022 से 31.03.2022 कुल 80 दिवस को सम्मिलित कर दस्तावेज सत्यापन कराने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.06.2023 को वरिष्ठ आचार्य एवं विभागध्यक्ष माईक्रोबायलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है। उल्लेखनीय है कि लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30.06.2023 नियत थी। जिसके उपरान्त त्रुटि संशोधन का दो बार अवसर प्रदान किया गया (दिनांक 11.07.2023 एवं 13.09.2023) था जिसके दौरान अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनका अनुभव प्रमाण पत्र नियत तिथि तक जारी नहीं हो सका है उन्हे बाद में एक सप्ताह का अवसर प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने का अवसर दिया गया था। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुरूप त्रुटि संशोधन के दौरान उपरोक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में भी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया अपितु वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,	याचिकाकर्ता श्री घनश्याम कुश्वाह द्वारा प्रस्तुतत अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी नहीं होने के कारण एवं रिट याचिका संख्या 19677/2022 के अनुरूप निर्धारित त्रुटि संशोधन अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अमान्य कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

Anupam Jolly

			माईक्रोबायलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दिनांक 27.09.2023 को जारी एक पत्र जो प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को संबोधित है, संलग्न किया है जिसमें पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2023 को ही प्रमाणित बताते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित दर्शाया है। अतः अब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी नहीं होने के कारण एवं रिट याचिका संख्या 19677/2022 के अनुरूप निर्धारित त्रुटि संशोधन अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अमान्य कर अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
24	104	याचिकाकर्ता श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भू दयाल शर्मा आईडी क्रमांक LTN119454 ने रिट याचिका संख्या 18772/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 2485 दिनांक 28.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी को लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 02.09.2013 से 30.05.2023 तक कुल 3557 दिवस का अनुभव होने का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नही है। किन्तु आरपीएमसी के गठन से पूर्व के अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.06.1974 है जिसके अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2024 तक विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार निर्धारित आयुसीमा की शर्त पूर्ण नही करता है जिसके कारण अभ्यर्थी को अपात्र	याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 02.06.1974 है जिसके कारण वह दिनांक 01.01.2024 तक विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार निर्धारित आयुसीमा की शर्त पूर्ण नहीं करता है। जिसके कारण अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुये अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

			मानते हुये अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	
25	105	याचिकाकर्ता श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री गुलाब चन्द्र आईडी क्रमांक LTN118120 ने रिट याचिका संख्या 18772/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 1619 दिनांक 27.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी को लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 10.11.2016 से 30.04.2023 तक कुल 2362 दिवस का अनुभव होने का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है। अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री अरविन्द कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
26	106	याचिकाकर्ता श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा आईडी क्रमांक LTN116860 ने रिट याचिका संख्या 18772/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सैटलाईट चिकित्सालय, आदर्श नगर अजमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 6242 दिनांक 26.06.2023 एवं 6243 दिनांक 26.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी को लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.02.2015 से 31.03.2017 तक 754.5 दिवस एवं दिनांक 06.04.2017 से 30.04.2019 तक 674 दिवस कुल 1428.5 दिवस का अनुभव होने का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना	याचिकाकर्ता का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है। अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

			प्रस्तावित है।	
27	107	याचिकाकर्ता श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ईश्वर लाल आईडी क्रमांक LTN120012 ने रिट याचिका संख्या 18772/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन में जारी सूची में स्वयं के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 65.604 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम चयन सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ प्रतिशत 53.641 से अधिक होते हुये भी सम्मिलित नही किया गया। अभ्यर्थी ने स्वयं का दिनांक 27.02.2009 से 24.02.2018 तक कुल 08 वर्ष 11 माह 26 दिवस के अनुभव का उल्लेख करते हुये आरपीएमसी में प्रथम पंजीकरण दिनांक 28.06.2023 से अवगत कराया है साथ ही उल्लेख किया है कि उनकी अनुभव अवधि के दौरान आरपीएमसी का गठन नही हुआ था। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। अतः आरपीएमसी के गठन से पूर्व के अनुभव के संबंध में निर्णय लिया जाना है।	अभ्यर्थी ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 114 दिनांक 30.06.2023 संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी को लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 27.02.2009 से 24.02.2018 तक कुल 08 वर्ष 11 माह 26 दिवस का अनुभव होने का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीयन दिनांक 28.06.2023 को हुआ है अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप देय नहीं है। किन्तु आरपीएमसी के गठन से पूर्व के अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है, जिस बाबत् प्रस्तावित है कि आरपीएमसी का गठन वर्ष 2013 में हुआ था एवं वर्ष 2015 से आरपीएमसी ने विधिवत रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया था। अतः आरपीएमसी गठन से पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को आरपीएमसी गठन से पूर्व के अनुभव का लाभ इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि उन्होने आरपीएमसी गठन के तुरन्त पश्चात् अपना पंजीयन करवा लिया हो।	आरपीएमसी का गठन वर्ष 2013 में हुआ था एवं वर्ष 2015 से आरपीएमसी ने विधिवत रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया था। अतः आरपीएमसी गठन से पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को आरपीएमसी गठन से पूर्व के अनुभव का लाभ इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि उन्होने आरपीएमसी गठन के तुरन्त पश्चात् एक वर्ष के भीतर अपना पंजीयन करवा लिया हो। शेष अवधि के अनुभव के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जाये। तदनुसार याचिकाकर्ता श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
28	108	याचिकाकर्ता श्री विरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी आईडी क्रमांक LTN100012 ने रिट याचिका संख्या 17492/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कोविड अवधि में लैब सहायक के पद पर लैब जॉच कार्य सम्पादन के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान कर शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया है।	अभ्यर्थी ने कोविर्ड की परिस्थितियों मे यूटीबी के अन्तर्गत लैब असिस्टेंट का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, मानपुर ब्लॉक सिकराय में सम्पादित किया है जिसके फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने अनुभव प्रमाण पत्रांक 1217 दिनांक 13.06.2023 जारी कर इनके मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजनान्तर्गत संपादित लेब असिस्टेंट के कार्य को विज्ञापित पद के	याचिकाकर्ता श्री विरेन्द्र कुमार सैनी का लैब सहायक पद का अनुभव विज्ञापित पद के अनुरूप प्रमाणित किये जाने के कारण एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन के कार्य को एक समान माने जाने एवं रिट

Anupam Johry

			समान माना है। इस प्रकार अभ्यर्थी का लैब सहायक पद का अनुभव विज्ञापित पद के अनुरूप प्रमाणित किये जाने के कारण एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन के कार्य को एक समान माने जाने एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में दिये निर्देशों कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश जिसके अनुसार समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान है, के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में दिये निर्देशों कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश, जिसके अनुसार समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान है, के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
29	109	याचिकाकर्ता श्री अभिषेक मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल आईडी क्रमांक LTN114384 ने रिट याचिका संख्या 17492/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कोविड अवधि में लैब सहायक के पद पर लैब जॉच कार्य सम्पादन के आधार पर 15 बोनसं अंक प्रदान कर शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया है।	अभ्यर्थी ने कोविड की परिस्थितियों मे यूटीबी के अन्तर्गत लैब असिस्टेंट का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्लावास ब्लॉक लालसोट में सम्पादित किया है जिसके फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने अनुभव प्रमाण पत्रांक 1261 दिनांक 16.06.2023 जारी कर इनके द्वारा संपादित लैब असिस्टेंट के कार्य को विज्ञापित पद के समान माना है। इस प्रकार अभ्यर्थी का लैब सहायक पद का अनुभव विज्ञापित पद के अनुरूप प्रमाणित किये जाने के कारण एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन के कार्य को एक समान माने जाने एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में दिये निर्देशों कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित	याचिकाकर्ता श्री अभिषेक मित्तल का लैब सहायक पद का अनुभव विज्ञापित पद के अनुरूप प्रमाणित किये जाने के कारण एवं माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन के कार्य को एक समान माने जाने एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में दिये निर्देशों कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के

			कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश, जिसके अनुसार समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान है, के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किये जाने बाबत नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	निर्देश, जिसके अनुसार समान कार्य के आधार पर बोनस देने का प्रावधान है, के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
30	110	याचिकाकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र कुमावत पुत्र श्री समर्थ लाल कुमावत आईडी क्रमांक LTT118118 ने रिट याचिका संख्या 17819/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 31.08.2023 को होने एवं दिनांक 04.09.2023 को आरपीएमसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं समस्त दस्तावेज सही बताते हुये स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुये अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डाटा के आधार पर आमंत्रित किया गया था। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन के संबंध में SCH-27/DIP/53905/2023 रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शाया गया है जो दस्तावेज सत्यापन के समय मिथ्या पाया गया। वास्तविकता में अभ्यर्थी आवेदन के समय आरपीएमसी में पंजीकृत नहीं था एवं उसने मिथ्या सूचना के आधार पर दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। विज्ञप्ति की शर्त एवं भर्ती नियम 1965 के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी किया होना अनिवार्य है जिसमें आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	विज्ञप्ति की शर्त एवं भर्ती नियम 1965 के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी किया होना अनिवार्य है जिसमें आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। तदनुरूप याचिकाकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र कुमावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
31	111	याचिकाकर्ता श्री नितेश कुमार पाटीदार पुत्र श्री भैरूलाल पाटीदार आईडी क्रमांक LTT114279 ने रिट याचिका संख्या 17828/2023 में माननीय	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र मे भरे गये डाटा के आधार पर	विज्ञप्ति की शर्त एवं भर्ती नियम 1965 के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय

Anupam John

		न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 31.08.2023 को एवं दिनांक 21.08.2023 को आरपीएमसी द्वारा जारी प्रंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं समस्त दस्तावेज सही बताते हुये स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नही किये जाने का उल्लेख करते हुये अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	आमंत्रित किया गया था। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन के संबंध में SCH-27/DIP/53903/2023 रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शाया गया है जो दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिये गये रजिस्ट्रेशन क्रमांक से मेल नहीं हुआ क्योंकि वास्तविकता में अभ्यर्थी आवेदन के समय आरपीएमसी में पंजीकृत नहीं था एवं उसने मिथ्या सूचना के आधार पर दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। विज्ञप्ति की शर्त एवं भर्ती नियम 1965 के अनुसार आवेदक को आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी किया होना अनिवार्य है जिसमें आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	समस्त अर्हताएं पूरी किया होना अनिवार्य है जिसमें आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। तदनुरूप याचिकाकर्ता श्री नितेश कुमार पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

प्रबन्ध निदेशक,
आर.एम.एस.सी.एल.,
मुख्यालय

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

on Leave
संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम. मुख्यालय

रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

ON LEAVE
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2/नियम)

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग)

Anupam Jain
विशिष्ट आमंत्रित
(प्रतिनिधि:–अधीक्षक, सवाई मानसिंह
चिकित्सालय, जयपुर)

विशिष्ट आमंत्रित
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर–1)

विशिष्ट आमंत्रित
(औषधि नियंत्रक– प्रथम, आयुक्तालय औषधि नियंत्रक
एवं खाद्य सुरक्षा, चि. एवं स्वा. विभाग)